


R. 229. II | 97

157

पाननीय बोह्ड वाफ रेवेन्यु । पश्चिम प्रदेश । केंद्र ग्वालियर  
प्रकरण कमांक । ६७ निगरानी । राजस्व ।



१- किंशीरसिंह पिता मूँबालाल जाति ब्राह्मण  
 २- रामसिंह पिता मूँबालाल जाति ब्राह्मण -  
 निवासीगण ग्राम दाँलतपुर मउनदी  
 बड़नगर जिला उज्ज्वन ---प्रार्थिग स्वीका  
 - विष्टु करने  
 ३- लक्ष्मीनारायण पिता वेणिलपल देव अधी०  
 निवासी ग्राम दाँलतपुरा मउनदी  
 बड़नगर जिला उज्ज्वन गत रसते हुवे  
 ४- हरिनारायण पिता शिवत्व या हित  
 निवासी बड़नगर के मूमिस्वामी हैं  
 यायालय अतिरिक्त रेवेन्यु कमिशनर समाग्रहुलक्ष्मि  
 द्वारा प्रकरण क्रमांक १४६। १४-८५ अप्रील मे प्रदद्य  
 निर्णय दिनों १४-१५-१६७ के विष्टु मु० रा० स० की धा  
 के अन्तर्गत निगरानी का बावेदनपत्र

## माननीय महोदय

प्रार्थीगिण की ओर से निर्णय की प्रतिलिपि के दिन मुजरा  
स्वेच्छावधि में नियन्त्रित निगरानी का आवेदन प्रस्तुत है :-

६- यह कि अधी० न्यायालय भारा पदव आदेश दिनांक ६-  
विधि स्वप्र विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य  
वास्तव में अधीनस्थ न्यायालयने निगरानीग्रस्त आदेश पारित  
अपने विचाराधिकार का वैध रूप से उपयोग किया है। फल  
प्राधीनिष्ठा न्यायदान से वंचित रहे हैं।

२०— यह कि पूर्व में प्रकरण माननीय न्यायालय बोर्डिंग रे  
— माननी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगो 229—दो / 1997

जिला — उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19—8—2015	<p>आवेदक एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। कई बार सूचना जारी की गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 19997 से लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण रुचि न लेने से समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">११ सदस्य</p>	